न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 32/2014

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 रामूराम उर्फ रामलाल पुत्र बालुराम।
2 हनुमान प्रसाद पुत्र बालुराम।
3 अमरचन्द पुत्र बालुराम समस्त जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम मोहनपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 भागोती पत्नी प्रहलाद।
2 मुकेश पुत्र प्रहलाद।
3 राधेश्याम पुत्र प्रहलाद उम्र 15 वर्ष नाबालिग जरिये संरक्षिका माता भागोती पत्नी प्रहलाद।
4 प्रेमलता पुत्री प्रहलाद उम्र 15 वर्ष नाबालिग जरिये संरक्षिका माता भागोती पत्नी प्रहलाद।
5 सीताराम पुत्र ईशरा।
6 ग्यारसी बेवा मूलचन्द।
7 मालीराम पुत्र मूलचन्द।
8 विनोद कुमार पुत्र मूलचन्द।
9 अर्जुन पुत्र मूलचन्द।
10 मांगीलाल पुत्र किशना।
11 सीताराम पुत्र किशना।
12 प्रेमचन्द पुत्र बालुराम समस्त जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम मोहनपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
13 तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दांतारामगढ़ जिला सीकर बइजलास श्री एम.आर. बगड़िया आर.ए.एस. प्रकरण संख्या 125/2013/दावा(पुराने 184/2000) उनवानी रामूराम उर्फ रामलाल आदि बनाम सोनी आदि दावा बाबत उदघोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड संशोधन दिनांकित 13.01.2004

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः—22-1-20

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 125/2013 में पारित निर्णय दिनांक 13.01.2004 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा एक नियमित वाद संख्या 125/13/दावा (पुराने 184/2000) रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 के पूर्वज प्रहलाद, सोनी बेवा ईशरा तथा रेस्पोडेंट संख्या 5 लगायत 13 के विरूद्व बाबत उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड संशोधन प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 11 के संयुक्त खाते, कब्जे व हक, अधिकार की पैतृक कृषि भूमियां खसरा नम्बर 63 रकबा 0.16 हैक्टेयर 71 रकबा 0.67 हैक्टेयर, 119/599 रकबा 0.15 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.98 हैक्टेयर वाके ग्राम मोहनपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की तन में अवस्थित है। उपरोक्त भूमियों के पुराने खसरा नम्बर 164 रकबा 13 बिस्वा, 165 रकबा 13 बीघा 3 बीघा 5 बिस्वा

प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

रिकार्ड में अंकित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 11 के पिता बालुराम उपरोक्त भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने के पूर्व से काबिज काश्तकार रहे है। उनकी मृत्यु काफी वर्ष पूर्व हो गई है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 11 उनके पुत्रगण एवं वैध उत्तधिकारीगण है। वादग्रस्त भूमियों पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 व इनके पूर्वजों का विगत 45 वर्षो से भी अधिक समय से निरन्तर लगातार और प्रकट रूप से काबिज चले आ रहे है और वर्तमान में भी काबिज है। प्रतिवादी संख्या 11 एवं वादीगण के प्रस्तुत वाद विषय वस्तु और वादग्रस्त भूमियों में समान हित निहित है। किन्तु प्रतिवादी संख्या 11 यहां नही होने के कारण उन्हे औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 11 वादग्रस्त भूमियों के सम्बन्ध में जरिये एडवर्स पजेशन खातेदार अधिकार परिपक्व एवं प्राप्त हो चुके है। राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की लापरवाही से तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 की साजिश से वादीगण संख्या 1 के पिता का नाम ईशरा, वादी संख्या 2 के पिता का नाम किशना गलत रूप से अंकित कर दिया। अन्य वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 11 का नाम रेवेन्यू रिकार्ड में अंकित नही होने दिया। उक्त स्थिति का अनुचित लाभ उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 विगत कुछ समय से वादग्रस्त भूमियों को हड़पने की कुचेष्टा में संलग्न है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 वादग्रस्त भूमियों पर से वादीगण को बेदखल करने, पेड़ पौधे काटने, नींव सींव नष्ट भ्रष्ट करने पर आमादा है, जिनका उन्हे कोई हक, अधिकार नहीं है। उक्त परिस्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना उचित एंव न्याय संगत है। यह दावा पेश करने पर विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया । इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष के आधार पर दावा खारिज किए जाने बाबत निर्णय व डिक्री पारित किये जाने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

में भारी भूल की गयी है कि वादीगण का कब्जा, काश्त किस प्रकार से विवादित आराजियात पर बकाश्त अतिक्रमी या अन्य प्रकार से है, साबित करने में असफल रहे है। जबकि इस निमित अपीलांट द्वारा वाद पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का पूर्वज बालु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही काबिज चला आ रहा था। उनकी मृत्यु के पश्चात अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 13 बहैसियत उत्तराधिकारी काबिज चले आ रहे है। इसलिये प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 को स्वामी मान्य किये जाने की स्थिति में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 11 को जरिये प्रतिकुल कब्जा भी खातेदारी, हक अधिकार परिपक्व एवं प्राप्त हो चुके है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष के आधार पर भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये जाने में भारी भूल कारित की गयी है कि वाद पत्र मं कुर्सीनामा या वारिसनामा भी पेश नही किया गया है कि वर्तमान जमाबंदी में गलत नाम अंकित हो गया एवं वास्तविक नाम रिकार्ड के अनुसार वादीगण का एवं उनके पूर्वजों का रहा है। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन वाद पत्र की धारा 1 में ही इस सम्बंध में स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है कि वादास्पद भूमि को अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 11 का पूर्वज बालु काश्त करता था तथा अपीलाधीन वाद के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 11 उसके उत्ताधिकारीगण है। बालु पुत्र आशा सही नाम दर्ज होना गिरदावरी संवत 2009 से 2016 में अंकित है, इसके अलावा अपीलांट द्वारा इस तथ्य को मौखिक साक्ष्य जिसका कोई खण्डन पत्रावली पर मौजूद नही है से भी इस स्थिति को पूर्णतया साबित किया गया है कि अपीलांट रामू व हणमान का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से दर्ज किया गया है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष के आधार पर भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये जाने में भारी भूल कारित की गयी है कि साक्ष्य शपथ तो बताई है एवं इनके समर्थन में जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है उनमें वादीगण की कब्जा काश्त साबित नहीं है। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से अपीलांट का कब्जा काश्त पूर्णतया साबित था।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

श्री आशीष शर्मा एडवोकेट द्वारा दिनांक 30.07.2002 को वादग्रस्त भूमियों की मौका रिपोर्ट तैयार करके अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी, जिसका विपक्षीय पार्टी द्वारा कोई एतराज प्रस्तुत नहीं किया। उक्त मौका रिपोर्ट से अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 11 का कब्जा पूर्णतया प्रमाणित है। मौका रिपोर्ट दिनांक 30.07.2002 तथा आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय दिनांक 02.01.2012 की प्रतिलिपि अपीलांट व वकील साहब की गलती से विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जा सकी। जिसको अब माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस निमित अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी. भी प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्वान अधिवक्ता ने अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में दिनांक 21. 12.2000 की आदेशिका में प्रतिवादी संख्या 1 जरिये वकील किशोर सिंह उपस्थित होकर वकालत नामा पेश करने का अंकन है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 01 सोनी देवी की और से दिनांक 25.01.2001 को जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद खारिज करने का कथन किया गया है। विचारण न्यायालय की आदेशिका में इस जवाब दावा प्रस्तुत करने के तथ्य का कोई अंकन नही है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद कथन एवं जवाब दावे के आधार पर कोई तनकीयात भी कायम नही की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। जिसे विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

जहां तक अपीलांट द्वारा आदेश 41 नियम 27 के आवेदन के साथ निर्णय की प्रति प्रस्तुत करने का प्रश्न है यह लोक दस्तावेज है अत आदेश 41 नियम 27 का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वाद कथन एवं जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम करें, उभयपक्ष के साक्ष्य लें एवं बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.02.2020 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 22-1-20 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर